

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्द्र भुषण निराला पिता-स्व. हृदय नारायण सिंह ग्राम-तरबन्ना पो०-पंचवीर थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय सी.आरनं०-2012074383	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	फुल कुमारी पिता-चौधरी बिन्द ग्राम-आजीमगंज पो०-घटवारी थाना-धरहरा जिला-मुंगेर सी.आरनं०-2015830240	यकृत रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	राकेश कुमार श्रीवास्तव पिता-सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम-बखरौर जद्दी पो०-कहला थाना-बरौली जिला-गोपालगंज सी.आरनं०-2014235117	पैन क्रीयाज रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	प्रीति कुमारी पिता-सच्चितानंद सिंह ग्राम-कोहकर पो०-बरहरी थाना-कोचस जिला-रोहतास सी.आरनं०-2014555604	पैन क्रीयाज रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

20/1/16

5	नम्रता कुमारी पिता-सुमीत कुमार राय ग्राम-मैनपुर पो0-एकडेरवा थाना+जिला-गोपालगंज सी.आरनं0-2015221402	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
6	अंकित कुमार पिता-अखिलेश कुमार ग्राम-गंजपर पो0-बदरबाली थाना-चंडी, जिला-नालंदा सी.आरनं0-2015862852	ऐ-प्लास्टिक ऐनिमिया	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
7	दीपक कुमार पिता-सुरेश कुमार सिंह ग्राम-पो0+थाना-दरिहट जिला-रोहतास सी.आरनं0-2012713432	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	सुमा देवी पति-स्व. इन्द्रदेव यादव ग्राम-हेरू दियारा संग्रामपुर पो0-हेरू दियारा थाना-नयारामनगर जिला-मुंगेर सी.आरनं0-2015464078	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
9	ओम प्रकाश सिंह पिता-स्व. सिया शरण सिंह ग्राम-थाना चौक पुरानी बाजार पो0+थाना+जिला-लखीसराय सी.आरनं0-2014717806	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,80,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,80,000 /-(आठ लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509211 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

31/11/17
2/11/17

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा०. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 579211 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

- 150 (14)

पटना, दिनांक - 8-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/1/16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पीटल
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्द्रपति देवी पति-गोबरी पासवान ग्राम+पो०-पचरुखीया थाना-गोवर्धना डुमरी जिला-प० चम्पारण ओ.पी.डीनं०-35857 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	दिपांशु पिता-पिंटु कानु ग्राम-नौबत पो०-कुडुडी थाना-चाँद जिला-कैमुर एम०आरडी-42336	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	मीरा देवी पति-रामेश्वर साह ग्राम-कोहारपट्टी, पुरानी बाजार रामनगर, पो०+थाना-रामनगर जिला-प० चम्पारण ओ.पी.डीनं०-6581 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	रूबी देवी पति-राम अवधेश राय ग्राम-बोदाही पो०+थाना-दावथ जिला-रोहतास ओ.पी.डीनं०-2539	कैंसर रोग	₹ 10,000/- (दस हजार) स्वीकृत।

20/1/16
2/1/16

5	जुगल पासवान पिता-देव राज पासवान ग्राम-पो0-खुदीया थाना-शिव सागर जिला-रोहतास ओपीडी-7397/15	कैसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,70,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,70,000/- (तीन लाख सतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509208 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509208 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 8-2-16

ज्ञापांक - 176 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.1.16

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	भेष नारायण सिंह पिता-लालधारी सिंह ग्राम-सीमरा बाग पो०-चौड़ी थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद केसफाइलनं०-सी.एम / 37336	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	मनोज कुमार पिता-चन्द्रशेखर सिंह ग्राम-रीगा योगबाना टोला पो०+थाना-रीगा जिला-सीतामढ़ी केसफाइलनं०-बीएक्स / 15178	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
3	माधव शरण सिंह पिता-रामानन्द सिंह ग्राम-भजौर पो०-मनीयड्डा थाना+जिला-जमुई केसफाइलनं०-सी.एम / 19110	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	त्रिवेणी कुमार सिंह पिता-स्व. रामोतार सिंह ग्राम-प्रतापनगर वार्ड नं०-16 पो०+थाना+जिला-सहरसा केसफाइलनं०-सी.एम / 22001	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।

20/1/16
2/2/16

5	सुरेश प्रसाद जयसवाल पिता-स्व.जगदीश प्रसाद ग्राम-टोनवां पो-अवमा थाना-घोड़ा साहन जिला-पूर्वी चम्पारण केसफाइलनं-सी0एल0/14570	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,10,000/

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,10,000/- (तीन लाख दस हजार) रूपया का क्रास चेक सं०... 509191..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 8-2-16

ज्ञापांक - 170 (14)

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.1.16

सं० सं० 14 / एम 11-3 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी, गुड़गांव,
हरियाणा, पीन-122 001

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रेयाज अहमद पिता-नजीर अहमद ग्राम+पो०-जागोपुर कोठी थाना-जामो बाजार जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल रु. 1,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रुपया का क्रास चेक सं०.....
SD 9192 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
- यह चेक ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लि०, गुड़गांव हरियाणा के नाम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 155 (14)

पटना, दिनांक - 8-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.1.2016